पारिवारिक जीवन

घरेलू कार्यों को साझा करना महत्वपूर्ण है, जिसका आशय है कि पुरुषों व महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों का उत्तरदायित्व समान रूप से लिया जाना चाहिए।

शिक्षा के सन्दर्भ में, किसी व्यक्ति को "Encarregado de educação अर्थात एक शिक्षा प्रायोजक" के रूप में नामित किया जाना एक सामान्य प्रथा है, जो बच्चे के स्कूल व उसके परिवार के मध्य एक संपर्क-बिन्दु का कार्य करते हैं। हालांकि, यह भूमिका माता-पिता में से किसी एक द्वारा भी निभाई जा सकती है।

दंपत्तियों/जोड़ों में, लैंगिक असमानताएं अक्सर ऐसे संबंधों को जन्म दे सकती हैं जहां पुरुष और महिला के मध्य बल और शक्ति की असंतुलित गतिशीलता होती है, जो प्रायः हिंसा या दुर्व्यवहार में परिणित हो जाती है। अंतरंग संबंधों में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य हिंसा, जिसे 'घरेलू हिंसा' कहा जाता है, पुर्तगाल में एक अपराध मानी जाती है। यदि आप किसी हिंसक संबंध में एक पीड़ित हैं (वह चाहे शारीरिक, मौखिक या यौन हिंसा हो), तो आपको पुलिस को तुरन्त इसे सूचित करना चाहिए। आप सहायता और सुरक्षा के लिए भी अनुरोध कर सकते(ती) हैं, और पीड़ित सहायता सेवाओं से सहायता प्राप्त कर सकते(ती) हैं। आपराधिक कार्रवाई के दौरान, आपके पास एक वकील द्वारा आपका प्रतिनिधित्व करने या आपको किसी शरण-स्थल पर आपके बच्चों सहित लिये जाने का भी अधिकार होता है।

यदि आप विवाहित हैं, तो आपको तलाक के लिए आवेदन करने का भी अधिकार है और यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो आप सामाजिक सुरक्षा के साथ कार्यरत किसी वकील को अपना प्रकरण सौंपने के लिए भी आवेदन कर सकते(ती) हैं। यदि आपके बच्चे हैं, तो "रेग्युलेशन ऑफ़ पेरेन्टल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ (माता-पिता के दायित्वों का विनियमन)" के रूप में प्रचलित एक एग्रीमेन्ट (समझौता) तैयार करना होगा। माता-पिता/अभिभावकीय उत्तरदायित्व वे शक्तियां/अधिकार हैं, जो माता-पिता को, एक पुरुष या महिला होने के विशेषाधिकार के बिना, उनके बच्चों के संबंध में सौंपे जाते हैं।

जबरन विवाह को भी हिंसा का एक रूप माना जाता है। अधिकतम प्रकरणों में, इससे मुख्य रूप से लड़कियां प्रभावित होती हैं, जिनसे स्वतंत्रता और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा को ऐक्सेस करने का अधिकार छीन लिया जाता है।

pm.imigrantes@cm-odemira.pt

Odemira म्युनिसिपल काउंसिल
www.cm-odemira.pt
Praça da República, 7630-139 Odemira
टेलीफ़ोन (+351) 283320900

integra 3G

प्रवासियों का एकीकरण

2020-2022

- नगर योजना -

Odemira
MUNICÍPIO

FUNDO ASILO, MIGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO
REPÚBLICA PORTUGUESA
SGMAI SECRETARIA GERAL
ACM

पुरुष एवं महिला
समान अधिकार

एक प्रवासी के रूप में, जो अब पुर्तगाल में रहता(ती) है, आपको इस तथ्य से अवगत होना होगा कि पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार हैं, और उन्हें कानून के समक्ष समान माना जाता है।

पुर्तगाली गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 13 – समानता का सिद्धांत

1. सभी नागरिक समान सामाजिक गरिमा का अधिकार रखते हैं और कानून के समक्ष समान हैं।
2. किसी को भी उसके वंश, लिंग, नस्ल, भाषा, उत्पत्ति के क्षेत्र, धर्म/पंथ, राजनीतिक या वैचारिक मान्यताओं/आस्थाओं, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों अथवा यौन अभिमुखता के कारणों से न तो विशेषाधिकार, अनुग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह दिया जा सकता है, और न ही किसी भी अधिकार से वंचित या किसी भी कर्तव्य से मुक्त किया जा सकता है।

एक अधिक चिरस्थायी और शान्तिपूर्ण समाज के विकास के लिए, लैंगिक समानता को एक मौलिक मानवाधिकार माना जाता है; तदनुसार, अन्तरों के होते हुए भी, पुरुषों व महिलाओं के पास, उनके लिंग, यौन-अभिमुखता और लैंगिक पहचान पर ध्यान दिये बिना, समान पहुंच, अधिकार, कर्तव्य और अवसर होते हैं चाहे वे अधिकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के सन्दर्भ में हों या सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी के सन्दर्भ में हों।

स्वास्थ्य

यदि आप पुर्तगाल में एक प्रवासी हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि पुर्तगाली स्वास्थ्य सेवाओं का ऐक्सेस, सामान्य और विशिष्ट विधि-विधानों के दायरे में आता है और पुर्तगाली गणराज्य के संविधान में इसकी सामान्य रूप से परिकल्पना की गई है:

- अनुच्छेद 13 (समानता का सिद्धांत)
- अनुच्छेद 15 (विदेशी, नागरिकताहीन व्यक्ति, यूरोपीय नागरिक)
- अनुच्छेद 64 (स्वास्थ्य)

आप चाहे पुरुष हों या महिला, आपको ऐसे संक्रामक रोगों का उपचार कराने, तत्काल स्वास्थ्य-देखभाल प्राप्त करने, टीकाकरण कराने का अधिकार होगा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा या जोखिम उत्पन्न करते हैं।
यदि आप एक महिला हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपको प्रजनन स्वास्थ्य-देखभाल और मातृ व बाल स्वास्थ्य-देखभाल का अधिकार है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- परिवार नियोजन
- निःशुल्क गर्भनिरोधक विधियों का ऐक्सेस
- गर्भावस्था की स्वैच्छिक समाप्ति (गर्भपात)
- गर्भावस्था के दौरान समर्थन और निगरानी
- प्रसव एवं नवजात स्वास्थ्य-देखभाल।

समाज में जीवन

पुर्तगाल में और आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, पुरुषों व महिलाओं को वस्तुओं, रोजगार, बैंक खातों और सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक स्थानों के ऐक्सेस के सन्दर्भ में समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं।

शिक्षा

पुर्तगाल में, प्रत्येक बच्चे को, उस वर्ष से स्कूल प्रारंभ करना अनिवार्य है जब वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं और केवल 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अथवा 12 वर्षों की अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के बाद ही शिक्षा को छोड़ सकते हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना वैकल्पिक होता है।

पुर्तगाली स्कूलों में, कक्षाओं का गठन लड़कों और लड़कियों को मिलाकर किया जाता हैं और उनके द्वारा प्रत्येक स्थान व सभी सामग्रियों और स्कूली गतिविधियों को समान रूप से साझा किया जाता है।

लड़कियों को घर पर रहने और छोटे भाई-बहनों या घर की देखभाल करने के लिए स्कूल न जाने की अनुमति नहीं है, ठीक उसी प्रकार लड़कों को काम पर बाहर जाने के लिए स्कूल से चूकने की अनुमति नहीं है। इस तरह के प्रकरणों में, संबंधित प्राधिकारियों को सतर्क किया जा सकता है।

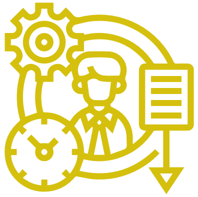

रोजगार

लैंगिक समानता द्वारा प्रचारित प्रमुख विचारों में से एक यह है कि नौकरियां या कामकाज लिंग-विशिष्ट नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, 'केवल पुरुषों के लिए' या 'केवल महिलाओं के लिए' जैसे कोई पेशे/आजीविका या गतिविधियां नहीं हैं। हर किसी को, उसके लिंग की परवाह किये बिना, शीर्ष या नेतृत्व के पदों पर पहुंचने और समान भूमिकाओं के लिए समान वेतन पाने का समान अधिकार है।